recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level 6 in the pay matrix rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) degree of a recognised University or Institute, and (ii) two years' experience in accounts, administration and establishment work in a Central Government or State Government or Union territories or recognised Research Institutions or Universities or Educational Institution or Public Sector Undertakings or Semi-Government or Autonomous or Statutory Organisations. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation [including short term contract (ISTC)] including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. I-12013/2/2016-Ad(CD)]

GAUTAM GHOSH, Director (DM-III)

अधिप्रमाणित
किरेन रीजीजू
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2017

सा.का.नि.288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर, कनिष्ठ अनुवादक भर्ती नियम, 1996 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर (कनिष्ठ अनुवादक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .- पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** .- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** .- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** .- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक	01* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्धसरकारी या स्वायत्त या कानूनी या कानूनी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी क (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर 5 में नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के पश्चात श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; (क) शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हो; अर्थात् (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो या (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप से रहा हो; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किसी भी मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप से रहा हो; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर हिंदी अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो या परीक्षा के माध्यम के रूप से रहा हो; या (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भी विषय में मास्टर डिग्री जिसमें डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिंदी अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय रहे हो या इन दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप से रहा हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में रहा हो; और (क) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालयों में जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी हैं हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का दो वर्ष अनुभव **टिप्पण :-** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं.I-12013/3/2016 (सीडी)]

गौतम घोष, निदेशक

AUTHENTICATED BY
KIREN RIJIJU
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

New Delhi, the 14th September, 2017

G.S.R.288.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Fire Service College, Nagpur, Junior Translator Recruitment Rules, 1996, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the National Fire Service College, Nagpur under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Fire Service College, Nagpur, (Junior Translator), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.** — The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualifications, etc.** — The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.** — No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay Matrix	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator	1 *(2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400/-)	Not applicable	Not applicable